

अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-06/2016गृ0आ0..... पटना, दिनांक फरवरी, 2017

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),  
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0005-स्पेशल आकिजलरी पुलिस, विषय शीर्ष 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा विपत्र कोड N2055001090005 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष, उप मुख्यशीर्ष के लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0001-जिला कार्यकारी दल, विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय, 13 03-दूरभाष एवं 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा विपत्र कोड N2055001090001 अंतर्गत क्रमशः ₹ 4,00,00,000, ₹ 1,00,00,000 एवं ₹ 1,00,00,000 यानि कुल ₹ 6,00,00,000 (छह करोड़ रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-06/2016 गृ0आ0.....<sup>1458</sup>.....पटना, दिनांक 17 फरवरी, 2017  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन,  
पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस  
महानिरीक्षक (बजट), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा नन्दन  
16/02/17

सरकार के अवर सचिव

